तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14/3/19	• आज पत्रावली पेश हुई पार्टी के अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी सं 1 से 4 लगातार सूचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पार्टी के अधिवक्ता द्वारा अन्तरिम स्थगन हेतु निवेदन किया गया। जिस पर एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। पार्टी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम सेरवड़ी का बांधा परवार हल्का सेरवड़ी तहसील रायपुर के वाकन हल्का आबादी मे खाता सं 8 मे दर्ज आराजी सं 106 रकबा 0.34 आ० न० 109 रकबा 0.01 है आराजी सं 110 रकबा 1.46 है किता 3 कुल रकबा 1.81 है. मे पार्टी का हिस्सा है। पार्टी के हिस्से की भूमि कब्जे काश्त भूमि किसी प्रकार का दस्तावेज दर्ज नही करके एवं शाखी पूर्वक काश्त आय लेने मे किसी प्रकार का अवचार उत्पन्न नही करके अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा निकट विपक्षी सं 1 से 4 के विरुद्ध तात्कालिक मूल वाद के तक जारी की जाती है। उक्त पत्रावली मूल पत्रावली सं 64/18 के साथ सलग्न की जावे। वाद शेष पत्रावली निर्णित सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)